


न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)



- 1- गोपाल यादव तनय तनगू यादव, पेशा खेती, R 4135-II-16
 2- बबुलन यादव तनय तनगू यादव, पेशा खेती,
 दोनो निवासी ग्राम भरसेड़ी, तहसील सरई, जिला सिगरौली (म०प्र०)

—निगरानीकर्तागण/आवेदकगण

बनाम

- 1- मोहन तनय जयलाल अहिर
 2- शिवप्रसाद तनय जयलाल अहिर
 3- रामकुमार तनय रामलाल यादव
 4- रामस्वरूप तनय रामलाल यादव
 5- भारत यादव तनय समयलाल यादव
 6- छोटू यादव तनय समयलाल यादव

सभी निवासी ग्राम भरसेड़ी, तहसील सरई, जिला सिगरौली (म०प्र०)

—गैरनिगरानीकर्तागण/अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी,
 तहसील सरई/देवसर, जिला सिगरौली (म०प्र०)
 के प्रकरण क०-74/बी-121/2015-16
 आदेश दिनांक 04/05/2016

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व
 संहिता सन् 1959 ई०

श्री दुष्यन्त कुमार सिंह एड
 हल काज न. ०५१११६ क
 प्रस्तुत

3-12-16
 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

695
 05/11/16

(Signature)
 दुष्यन्त कुमार सिंह
 एडवोकेट
 E. No. M.P./1041/2009

(Signature)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक R/4135/2016,

श्रीपाल मोहन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|------------------|--|--------------------------------------|
| 27-12-18 | <p>आवेदक की ओर से श्री <u>दुर्गा प्रसाद कुमारी</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी <u>तट-सई डिप्टी</u> के प्रकरण क्रमांक <u>74/8-12/15-16</u> में पारित आदेश दिनांक <u>04/05/16</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>सिंगरौली</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>07-12-19</u> को कलेक्टर जिला <u>सिंगरौली</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> | <p align="right">सदस्य ✓</p> |